

प्रेषक,

पी०के०पात्रो,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: 30 मार्च, 2015

विषय: जनपद-पिथौरागढ़ में चण्डाक-मैइला-तड़ीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2614/1जी-EP/UK/ROAD/10700/2015 दिनांक 18 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यापाल जनपद पिथौरागढ़ (आपदाग्रस्त जनपद की श्रेणी में निर्धारित) में चण्डाक-मैइला-तड़ीगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.935 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ० सी० दिनांक 07 नवम्बर, 2014 एवं पत्र संख्या एफ०न०-11-09/98-एफ०सी० दिनांक 13 फरवरी, 2014 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वन विभाग के पत्र में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.87 हे० सिविल सोयम भूमि एवं अतिरिक्त वृक्षों का बंधोबिध वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु बंधोबिध जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पत्र में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छ: माह में अपरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास स्थित पड़े-रखे पत्र बंधोबिध वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु बंधोबिध जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई०ए०सी०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं०-5-3/2007-एफ० सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का बचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बड़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अधिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार ए०पी०वी० तथा दूसरी सभी निर्धार्य प्रतिपूर्ति

- पौधासेपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एफओबी0-25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 मूल सी0जी0ओ0 काम्प्लैक्स, फेज 1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करण के उपरांत ही पाथरी की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आवश्य (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूर्क वृक्षादीयण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य वेय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
 7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
 8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
 9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पर्यंत प्रकरण में विधेयता स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(पी0के0पात्री)

अपर सचिव।

संख्या: [57 (1)]/4 (151/64)/2025, तद्विनाशित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित श्रे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफओआर0 आर्इ0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हफदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, लोक निर्माण विभाग / पी0एम0जी0एस0आई, उत्तराखण्ड शासन।
4. वन संरक्षक, राष्ट्रीय कुम्भों वृक्ष अल्पान।
5. जिलाधिकारी, विधेयनामठ।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, विधेयनामठ वन प्रभाग, विधेयनामठ।
7. अधिशासी अभियंता, प्रांतीय सड़क, लोक निर्माण विभाग, विधेयनामठ।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वन शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का प्रयत्न करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुम सिह)

अपर सचिव।